

कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय आदेश संख्या :- 35

राँची-2 दिनांक :- 19/5/15

वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिसूचना सं०सं०-4/यो० बजट-42/2010-2371 व०प०, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 15.05.15 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त सीसल वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा दर का अनुमोदन किया गया। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वयन की जाने वाली सीसल वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

सीसल वृक्षारोपण हेतु कार्य दर

पौधों की संख्या प्रति हे०:- 6150

मजदूरी
दर

187.43 रु० प्रति मानव दिवस

क्रम सं.	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस प्रति हे०	सामग्री रु० में	मजदूरी रु० में	कुल व्यय रु० में	अभिव्यक्ति
1.	सर्वेक्षण एवं डिमाकेशन	हे०	3	0.00	562.29	562.29	
2	झाड़ी सफाई						
2.1	झाड़ी रहित	हे०	0	0.00	0.00	0.00	
2.2	सामान्य झाड़ी	हे०	7	0.00	1312.01	1312.01	
2.3	घनी झाड़ी	हे०	10	0.00	1874.30	1874.30	
3.1	ट्रेंच घेरान - ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी., नीचे की चौड़ाई 1.22 मी., गहराई 1.25 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)	चेन	25	0.00	4685.75	4685.75	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रेंच खोदी गयी है तो ट्रेंच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस सम्पादित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हो

3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	चेन	2	1963.79	374.86	2338.65	स्थल विशेष पर मशीन द्वारा ट्रेंच की खुदायी वन संरक्षक से अनुमति प्राप्त कर की जा सकेगी। सामग्री की राशि मशीन कार्य हेतु है।
3.3	पत्थर घेरान- ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी० ऊँचाई 1.00 मी०	चेन	25	0.00	4685.75	4685.75	
3.4	झाड़ी घेरान	चेन	6	25.00	1124.58	1149.58	
4	मुदा कार्य 0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.	हे०	132	0.00	24740.76	24740.76	
5	अश पौधशाला कार्य- बुलाबिल पर आधारित पौधशाला स्थानीय रूप से उपलब्ध रहने पर 7380 पौधे कार्य अवधि एक वर्ष बुलबिल संग्रहण सहित	हे०	163	5748.00	30551.09	36299.09	
6	विविध कार्य छायांकन प्रचार प्रसार मुद्रण सम्बंधित कार्य	हे०	0	150.00	0.00	150.00	
सम्पूर्ण कार्य (द्वितीय वर्ष)							
1.	पौधशाला कार्य (आंशिक) रात्रि प्रहरी सहित	हे०	57	0.00	10683.51	10683.51	
2.	वृक्षारोपण	हे०	145	0.00	27177.35	27177.35	
3.	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे०	145	0.00	27177.35	27177.35	
4	सुरक्षा कार्य	हे०	8	0.00	1499.44	1499.44	
5	सामग्री (बीज, उर्वरक खाद, रसायन आदि)	हे०	0	4133.00	0.00	4133.00	
6	ट्रेंच के बर्न पर घेरान हेतु बीज रोपण	हे०	2	0.00	374.86	374.86	
7	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)	हे०	0	150.00	0.00	150.00	
सम्पूर्ण कार्य (तृतीय वर्ष)							
1.	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे०	145	0.00	27177.35	27177.35	
2.	उर्वरक एवं रसायन	हे०	0	4133.00	0.00	4133.00	
3.	सुरक्षा कार्य	हे०	12	0.00	2249.16	2249.16	
4.	घेरान मरम्मत	हे०	5	0.00	937.15	937.15	
5.	मृत पौधों का बदलाव	हे०	15	1100.00	2811.45	3911.45	
सम्पूर्ण कार्य (चतुर्थ वर्ष)							
1.	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे०	145	0.00	27177.35	27177.35	
2.	उर्वरक एवं रासायनिक खाद आदि	हे०	0	4133.00	0.00	4133.00	
3.	सुरक्षा कार्य	हे०	12	0.00	2249.16	2249.16	

446

(3) जैविक खाद, शोध पीघशालाओं से एवं रासयनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।

(4) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

झापांक :- 472

दिनांक :- 19/5/15

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्यद, झारखण्ड, राँची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची